न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांकः 15.04.2026

प्रकरण संख्याः 50 / 26

जीसीएमएस नं. 2026 / 111

उनवान

1 कमलेश पत्नि अशोक जाति जाट निवासी फौजीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादिनी

बनाम

1 बृजेश पत्नि स्व. गोपाल जाति निवासी फौजीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर हाल पत्नि भरत जाति जाट निवासी नंगला सबरजीत दिगरौता दियोता आगरा उत्तर प्रदेश।

——प्रतिवादिनी

दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :—

1 श्री हेमसिंह पाण्डेय ——वादिनी

2 श्री शान्तिस्वरूप शर्मा ——प्रति.

निर्णय दिनांक 15 / 05 / 2026

वादिनी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 28 रकवा 1.8600 हेक्टेयर के 3 / 10 हिस्सा वाके ग्राम दीवली तहसील भुसावर व आराजी खसरा नम्बर 316 रकवा 0.1100, 62 रकवा 0.3000 किता 2 कुल रकवा 0.4100 हेक्टेयर के 3 / 250 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 158 रकवा 0.0700 हेक्टेयर के 3 / 200 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 178 रकवा 0.0100, 180 रकवा 0.0500 किता 2 कुल रकवा 0. 0600 हेक्टेयर के 9 / 12800 हिस्सा, तथा आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.2100, 119 रकवा 0.1600, 129 रकवा 0.1700, 205 रकवा 0.0900, 39 रकवा 0.4000 किता 5 कुल रकवा 0.9800 हेक्टेयर के 3 / 100 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 263 रकवा 0.3600 हेक्टेयर के 3 / 10 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 254 रकवा 0.1500, 265 रकवा 0.0200, 267 रकवा 0.0400 किता 3 कुल रकवा 0. 2100 हेक्टेयर के 3 / 200 हिस्सा वाके ग्राम फौजीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर की वादिनी काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा वादिनी ही राज लगान राज्य सरकार को अदा करती चली आ रही है।

उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादिनी के निहित हिस्से की आराजी को वादिनी ने अरसा करीब 20 वर्ष पूर्व मौखिक रूप से खरीद कर लिया था, और तभी से वादिनी उक्त आराजी मे निहित हिस्से की आराजी पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। वादिनी ने उक्त आराजी मे प्रतिवादिनी के निहित हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड विकय पत्र कराने के लिए कई बार कहा, लेकिन प्रतिवादिनी विक्रय पत्र तहरीर व तस्दीक कराने की टालमटोल करती रही। इसी दरम्यान प्रतिवादिनी का पूर्व पति का स्वर्गवास हो गया। और प्रतिवादिनी दूसरी जगह भरत निवासी नगला सबरजीत दिगरौता दियोता आगरा के यहाँ खानिन्दाज हो गई। परन्तु वादिनी का उक्त आराजी पर उसी समय से एडवर्स पजेशन चला आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादिनी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आने के कारण प्रतिवादिनी के दिल मे अब बदयान्ती आ गई है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादिनी उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए वादिनी को आराजी से बेदखल व महरूम करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादिनी को उक्त आराजी मे किसी तरह के व आराजी को रहन, वय व मुन्तकिल करने के कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनांक 03.04.2026 को वादिनी ने प्रतिवादिनी से वादग्रस्त आराजी की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादिनी ने खातेदारी इन्द्राज कराने से इंकारी करते हुए वादिनी को खुले

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

ग्राम धमकी दी कि मै तो मेरे नाम दर्ज हो रही खातेदारी की आराजी को अतिशीघ्र ही किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए कब्जा देकर तुझे तेरी खरीदी गई आराजी से बेदखल कर महरूम कर दूँगी, और अब तुझे इस आराजी पर किसी भी तरह से काश्त नही करने दूँगी। अतः वादिनी अपने खातेदारी के अधिकारो की घोषणा करा पाने की अधिकारी है।

वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादिनी के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादिनी की ओर से वकालतनामा श्री शान्तिस्वरूप शर्मा एड. द्वारा पेश किया। प्रतिवादिनी ने दावा को स्वीकार किया।

हमने बहस पर उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादिनी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 28 रकवा 1.86 हेक्टेयर के 3/10 हिस्सा वाके ग्राम दीवली तहसील भुसावर व आराजी खसरा नम्बर 316 रकवा 0.11, 62 रकवा 0.30 हेक्टेयर के 3/250 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 158 रकवा 0.07 हेक्टेयर के 3/200 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 178 रकवा 0.01, 180 रकवा 0.05 हेक्टेयर के 9/12800 हिस्सा, तथा आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.21, 119 रकवा 0.10, 129 रकवा 0. 17, 205 रकवा 0.09, 39 रकवा 0.40 हेक्टेयर के 3/100 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 263 रकवा 0.36 हेक्टेयर के 3/10 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 254 रकवा 0.15, 265 रकवा 0.02, 267 रकवा 0.04 हेक्टेयर के 3/200 हिस्सा वाके ग्राम फौजीपुरा तहसील भुसावर में प्रतिवादिनी के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादिनी को खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.